फा.सं. ई-11014/14/2023-हिन्दी पखवाड़ा/ 31।

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

300, पुस्तकालय भवन,
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 31 अगस्त, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा-2023 का आयोजन- दिशा-निर्देश।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सितम्बर, 2023 माह में हिंदी पखवाड़ा तथा 14 सितंबर, 2023 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए।

अनुरोध है कि केन्द्रीय जल आयोग के सभी क्षेत्रीय/अधीनस्थ कार्यालय हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पखवाड़े का आयोजन करें तथा विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर उन्हें पुरस्कृत करें। पखवाड़ा के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी निम्नलिखित नियमों एवं निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करें-

1. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3)एवं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 में किए गए प्रावधानों का पूर्णतया पालन किया जाए।

2. 'क' और 'ख'क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के साथ शत-प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया जाए।

3. फाइलों में अधिक से अधिक टिप्पणियां हिंदी में लिखें।

4.सरकारी डाक एवं पत्रों का निपटान करते समय अनुभाग प्रभारी/वरिष्ठ अधिकारी अपने आदेश एवं टिप्पण हिंदी में दें।

5. कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं/रजिस्टरों में प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से हिंदी में की जाएं।

6.सभी कम्प्यूटरों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाए।

....2-

7. हिंदी भाषी क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिंदी में ही लिखे जाएं।

8. हिंदी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित अधिकारी/कर्मचारी अपना सरकारी काम-काज हिंदी में करें।

9. एम.टी.एस. की बही में प्रविष्टियां हिंदी में ही की जाएं।

10.सभी सरकारी प्रकाशन द्विभाषी रूप में (हिंदी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित किए जाएं।

11. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2022-23 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक पत्राचार हिंदी में किया जाए एवं प्रत्येक क्षेत्र के साथ किए जाने वाले हिन्दी पत्राचार की प्रतिशतता में निरंतर वृद्धि हेतु प्रयास किया जाए।

12. जांच बिंदुओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

13.कार्यालय की लेखन-सामग्री, नामपट्ट, फार्म, प्रक्रिया संबंधी साहित्य, रबड़ की मोहरें, निमंत्रण-पत्र आदि अनिवार्य रूप से हिंदी-अंग्रेजी में बनवाए जाएं।

14.राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का अपने अधीनस्थ कार्यालयों में व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो सके।

15.फाइल कवर पर विषय हिंदी और अंग्रेजी में लिखे जाएं तथा फाइल कवर के पिछले भाग (बैक साइड) में कार्यालय में दैनिक प्रयोग में आने वाले अंग्रेजी के वाक्यांशों का हिंदी रूपांतरण छपवाने की व्यवस्था की जाए।

16. राजभाषा विभाग एवं माननीय संसदीय राजभाषा समिति की अपेक्षानुसार, सितंबर माह में कार्यालय का शत-प्रतिशत सरकारी कार्य राजभाषा हिन्दी में ही किया जाए जिससे कार्यालय के हिन्दी में मूल पत्राचार में वृद्धि परिलक्षित हो।

केंद्रीय जल आयोग के सभी संगठनों तथा आयोग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों/अनुभागों से अनुरोध है कि वे हिंदी पखवाड़ा के दौरान एवं भविष्य में भी उपर्युक्त कार्यों में नियमानुसार हिंदी का ही प्रयोग करें।

31/8/2023

(रजिन्दर पाल)
उप निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 011-29583720

1. सभी सदस्य, केंद्रीय जल आयोग के वरिष्ठ निजी सचिव, नई दिल्ली।

2. सभी मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय), नई दिल्ली।

3. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय जल आयोग।

4. सचिव, केंद्रीय जल आयोग/निदेशक (प्रशासन)/निदेशक (स्थापना)/लेखा अधिकारी, के.ज.आ., नई दिल्ली।

5. निदेशक (समन्वय), जल आयोजन एवं परियोजना स्कंध/अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध/नदी प्रबंध स्कंध, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

6. सभी निदेशक/सभी अवर सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

7. सभी निदेशालय/अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

8. केंद्रीय जल आयोग के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।

<u>प्रति सूचनार्थ प्रेषितः-</u>

1. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव, नई दिल्ली।

2. निदेशक (राजभाषा), जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, श्रमशक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।